रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23052020-219536
CG-DL-E-23052020-219536

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1416] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 2020/ज्येष्ठ 1, 1942
No. 1416] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2020/JYAISTHA 1, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2020

का.आ.1579(अ).—केंद्रीय सरकार की यह राय है कि व्यक्ति, देश में लॉकडाउन के कारण केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के अधीन यथा आज्ञापित विभिन्न फीसों और विलंब फीसों के संबंध में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नोबल कोरोना वाइरस (कोविड-19) महामारी की विद्यमान स्थिति को देखते हुए, लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समझते हुए निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात् :-

आदेश

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1)** इस आदेश का संक्षिप्त नाम मोटरयान (फीसों का शिथलीकरण) आदेश, 2020 है ।

   (2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2. केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 32 (सारणी की सभी मदें) और नियम 81 (रजिस्ट्रीकरण जारी करने और नए रजिस्ट्रीकरण चिह्न को समनुदेशित करने के लिए क्रम सं. 4 के सिवाय, सारणी की सभी मदें) के अधीन सूचीबद्ध क्रियाकलापों के लिए 1 फरवरी, 2020 को या उसके पश्चात् संदत्त फीस और यदि ऐसे क्रियाकलाप कोविड-19 महामारी के निवारण के लिए परिस्थितियों के कारण पूरे नहीं किए जा सके थे, विधिमान्य रहेगे ।

3. यदि कोविड-19 महामारी के निवारण की परिस्थिति के कारण 1 फरवरी, 2020 से केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 32 (सारणी की सभी मदें) और नियम 81 (रजिस्ट्रीकरण जारी करने और नए रजिस्ट्रीकरण चिह्न को

समनुदेशित करने के लिए क्रम सं. 4 के सिवाय, सारणी की सभी मदें) के अधीन सूचीबद्ध क्रियाकलापों के लिए गृह मंत्रालय के आदेश के अधीन लॉकडाउन की अवधि तक, फीस का संदाय करने में साथ-ही-साथ इन क्रियाकलापों को पूरा करने में विलंब होता है तो ऐसे क्रियाकलाप 31 जुलाई, 2020 तक पूरे किए जाएंगे ।

4. उपरोक्त पैरा 2 और पैरा 3 में निर्दिष्ट ऐसे क्रियाकलापों के लिए कोई विलंब फीस या अतिरिक्त फीस उद्गृहीत नहीं की जाएगी ।

[फा. सं. आरटी-11012/02/2019-एमवीएल (पीटी-8)]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2020

S.O. 1579(E).— Whereas, the Central Government is of the opinion that persons are facing difficulties in respect of various fees or late fees as mandated under the Central Motor Vehicles Rules, 1989 due to lockdown in the country;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by section 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and it is considered necessary so to do, in the public interest in view of prevailing Novel Corona Virus (COVID-19) pandemic situation, the Central Government hereby issues the following Order, namely :-

ORDER

1. **Short title and commencement. - (1)** These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Relaxation of Fees) Order, 2020.

   2. It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. The fees paid, on or after 1st February, 2020 for the activity listed under rule 32 (all items of table) and rule 81 (all items of table except serial number 4 for issue of registration and assignment of new registration mark) of Central Motor Vehicles Rules, 1989 and in case such activity could not be completed due to conditions for prevention of COVID-19 pandemic, shall continue to remain valid.

3. In case due to conditions for prevention of COVID-19 pandemic, if there is delay in paying the fees from 1st February, 2020 till the period of lockdown as under the order of the Ministry of Home Affairs for the activity listed under rule 32 (all items of table) and rule 81 (all items of table except serial number 4 for issue of registration) of Central Motor Vehicles Rules, 1989 as well as completing these activity, such activity shall be completed by 31st July, 2020.

4. The late fees or additional fees, for such delays, referred to in paragraphs 2 and 3 above shall not be levied.

[F. N. RT-11012/02/2019-MVL Pt. 8]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.